आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/ छात्रवृति/2019-20/341 दिनांक- 21/08/19

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः- राज्य के अध्ययनरत दिव्यांगजनों के ऑनलाइन छात्रवृति आवेदन नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाने बाबत्।

संदर्भः- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ16(1) नि.वि.यो. / 2019 / 5721-22 दिनांक 22.07.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर द्वारा राज्य के अध्ययनरत दिव्यांगजनों के ऑनलाइन छात्रवृति आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाने बाबत् दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नेशनल ई स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु दिव्यांगजन छात्रवृति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाने के संबंध में तिथिया निर्धारित की गई है जो कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित है। (छाया प्रति संलग्न है)

अतः आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र-छात्राओं के आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न-संदर्भित पत्र की प्रति।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2019-20/342-44 दिनांक- 21/08/19

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर के डायरी क्रमांक 4163 दिनांक 11.08.19 के क्रम में।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(एन.एल.शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)/नि.वि.यो./2019/5721-22

दिनांक : 22/7/2019

1. शासन सचिव (उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा), शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। I. D. No. 603 PS/GCE/ Dated 5/8/19
2. प्रमुख शासन सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः- राज्य के अध्ययनरत दिव्यांगजनों के ऑन लाईन छात्रवृति आवेदन नेशनल ई- स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजना अन्तर्गत कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु दिव्यांगजन छात्रवृति आवेदन ऑन लाईन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित तिथि निर्धारित की गई है।

क्र.सं.	योजना का नाम	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि
1	प्री-मैट्रिक	15.10.2019
2	पोस्ट-मैट्रिक	31.10.2019
3	उच्च शिक्षा	31.10.2019

अतः आपसे निवेदन है कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें कि समस्त राजकीय शिक्षण संस्थानों/निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 9 से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र-छात्राओं के आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।

CCE
JSTEL
JSHE

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 4163
दिनांक 7/8/19

भवदीय

(दीपक नन्दी)
निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव

31/7/19

क्रमांक : एफ 16(1)/नि.वि.यो./2019/5723-90

दिनांक : 22/7/2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. समस्त जिला कलक्टर को भेजकर निवेदन है कि आपके जिले में कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर ही भरवाने हेतु राजकीय/निजी महाविद्यालयो/विद्यालयो में अध्ययनरत दिव्यांगजन विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदन ऑन लाईन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करावें।
3. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत दिव्यांगजन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र भारत सरकार के पोर्टल पर ही भिजवाना सुनिश्चित करें तथा राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के आवेदन ही ऑफ लाईन स्वीकार किये जायें।

F.A.
2/8/19

5-8-19

अतिरिक्त निदेशक

D:\OFFICE STAF\PARIK SIR\ajay ji\Natioanl Scholprship\Latter docx..docx